तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.24	आज यह वाद पत्र वादिया की ओर से उनके अभिभाषक श्री अजीत सिंह तवर ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। हस्तगत वाद के जरिये वादिया का अनुतोष विरूद्ध सरकार मंदिर भूमि होने से अधिवक्ता वादिया की वाद पत्र के एडमिट स्तर पर ही बहस सुनी गई। वादिया के द्वारा हस्तगत वाद के जरिये राजस्व ग्राम जसरापुर तहसील खेतडी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 511/2 हाल खसरा नम्बर 1103 रकबा 1.05 हेक्टेयर की खातेदारी चाही है जो मदिर भूमि है। पत्रावली पर वादिया द्वारा पेश किये गये प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादिया की बहस पर मनन किया गया।	

मंदिर माफी की भूमि मे राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने के समय (विक्रम संवत 2009 सन् 1952) जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, उन्हे ही धारा 9 के तहत खातेदारी हक थे। जमाबन्दी संवत, 2015 से 2018 में वादग्रस्त भूमि का खातेदार जैर मंदिर श्री बिहारी जी है तथा आज भी उक्त भूमि का खातेदार मंदिर ही है। मदिर की उक्त भूमि मे वादिया के हकपूर्वाधिकारियो की हैसियत केवल उपकृषक/उपधारी की रही है।

राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (23) मे यथा परिभाषित खुद काश्त भूमि पर माफीदार अर्थात मूर्ति मंदिर को, जो शाश्वत अवयस्क विधिक पुरूष है, खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो गये। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 मे वर्णित अवयस्क की निर्योग्यता (Disability) के प्रावधान लागू होते है। जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत उपकृषक को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। लिहाजा

आदेश

अत: वादिया का हस्तगत वाद पोषणीय नही होने से एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनाक 08.08 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

8/8/24

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)